संख्या 125 / वि0अनु0–5 / व्या0क0 / 2004

प्रेषक,

प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त, कर,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–5 ::देहरादून:: दिनांक 27 जनवरी, 2004

विषय– आटा, मैदा, सूजी समाधान योजना 2003–2004 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2092 दिनांक12–11–2003 का सन्दर्भ लें।

इस सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि शासन द्वारा उत्तरांचल में आटा, मैदा, सूजी के निर्माताओं के लिये उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम1948,) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) के अन्तर्गत व्यापार कर के स्थान पर एकमुश्त धनराशि जमा करने की समाधान योजना 2003–2004 लागू करने का निर्णय लिया गया है।

यह योजना आटा मिलों में रोलर की संख्या के अनुसार संलग्न शासन के निर्देशों के अनुसार लागू होगी।

यह समाधान योजना वैकल्पिक है एवं समाधान का विकल्प अपनाने के इच्छुक व्यापारी प्रारूप–1 में प्रार्थना पत्र व प्रारूप–2 में शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र के साथ देय समाधान राशि जमा किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 31–01–2004 तक संलग्न करेंगे।

सामान्य रूप से प्रार्थना पत्र लेने की अवधि आयुक्त, कर, उत्तरांचल द्वारा बढ़ाई जा सकती है, जो निर्माता निर्धारित अवधि तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं वे अपना प्रार्थना पत्र 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से व्याज व समाधान की किश्त जमा किये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ आयुक्त कर द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

योजना शर्तें संलग्न शासन की शर्तो के अनुसार निर्धारित करते हुये समस्त कर निर्धारण आधिकारियों को तुरन्त आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव वित्त

आटा मैदा सूजी एवं उक्त वस्तुओं के उत्पादन हेतु क्रय किये गये गेहूँ पर बिक्रीकर एवं क्रयकर के स्थान पर उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा 7 (घ) के अन्तर्गत एक मुश्त समाधान राशि जमा करने हेतु फ्लोर मिल समाधान योजना (2002–2003) लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देश।

(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम1948,) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 7–घ के उपबन्धों के अधीन उत्तरांचल में आटा मैदा सूजी के निर्माता फ्लोर मिल से उनके द्वारा 2003–2004 में निर्मित आटा मैदा सूजी की बिक्री व इन वस्तुओं की उत्पादन में प्रयुक्त निर्धारित मात्रा में गेहूँ की खरीद पर विधि के अधीन देय कर के स्थान पर एकमुश्त धनराशि (जिसे आगे समाधान धनराशि कहा गया है) कर निर्धारक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार की जा सकती है

(2) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम1948,) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा 7–घ में उन फ्लोर मिल्स या उन आटा मैदा सूजी के निर्माता फ्लोर मिल्स, जिसमें ऐसे व्यापारी भी सम्मिलित हैं, जो आटा मैदा सूजी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की खरीद/ बिकी का भी व्यापार करते हैं, द्वारा केवल अपने फ्लोर मिल में स्व–निर्मित आटा मैदा सूजी की बिकी तथा ऐसी माल के निर्माण में प्रयुक्त निर्धारित मात्रा में गेहूँ की खरीद पर वर्ष 2003–2004 के लिये देय कर के विकल्प में समाधान राशि स्वीकार की जाएगी। अन्य वस्तुओं की खरीद/ बिकी पर विधि के अनुसार कर देय होगा। जो समाधान राशि के अतिरिक्त होगा।

(3) जो व्यापारी इस योजना को अपनाना चाहते हैं वे निम्न प्रकार से प्रति रोलर बाडी कर जमा करेंगें जिनमें आटा, मैदा, सूजी की बिक्री पर समस्त कर समाधान राशि में सम्मिलित होगा साथ ही निम्न प्रकार से गेहूँ की खरीद समाधान राशि में सम्मिलित की जायेगी। गेहूँ की खरीद में उत्तंराचल व उत्तरांचल के बाहर का गेहूँ दोनों सम्मिलित होगा।

(क) 6 हजार कुन्तल तक गेहूँ की कुल खरीद पर रूपये 80,000 (अस्सी हजार)प्रति रोल बाडी

(ख) 7 हजार कुन्तल तक गेहूँ की कुल खरीद पर रूपये 92,000 (बानवे हजार)

(ग) 8 हजार कन्तुल तक गेहूँ की कुल खरीद पर रूपये 1,04,000 (एक लाख चार हजार)

(घ) 9 हजार कुन्तल तक गेहूँ की कुल खरीद पर रूपये 1,16,000 (एक लाख सोलह हजार)

(ङ) 10 हजार कुन्तल तक गेहूँ की कुल खरीद पर रूपये 1,28,000 (एकलाख अट्ठाईसहजार)

इसी प्रकार प्रति हजार कुन्तल गेहूँ की अतिरिक्त खरीद के लिये 12,000 (बारह हजार) रूपये की अतिरिक्त राशि निर्धारित की जा सकती है।

(4)– समाधान योजना निम्न शर्तो के अधीन लागू किया जाना प्रस्तावित किया जाता है:–

(1) योजना वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिये प्रभावी होगी। अगले वर्ष के प्रारम्भ में योजना के सम्बन्ध में पुर्नविचार किया जायेगा।

(2) यह योजना स्वैच्छिक होगी जो व्यापारी इस योजना को नहीं अपनाना चाहें वे नियमानुसार कर जमा कर सकते हैं। एक से अधिक रोलर होने पर प्रति रोलर प्रस्तर 8 के अनुरूप समाधान राशि जमा करनी होगी जिसमें आटा मैदा सूजी

की बिक्री पर छूट के अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित सीमा तक गेहूँ की खरीद पर छूट उपलब्ध होगी।

(3) समाधान का विकल्प अपनाने वाले व्यापारी निर्धारित प्रारूप में अपने कर निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे एवं निर्धारित तिथियों में समाधान किश्त जमा करेंगें।

(4) निर्धारित तिथि तक किश्त जमा न होने पर 2 प्रतिशत साधारण व्याज की दर से व्याज देय होगा।

(5) समाधान किश्त निम्न प्रकार से जमा करनी होगी:–

(क) समाधान राशि का 50 प्रतिशत 31 जनवरी 2004 तक

(ख) समाधान राशि का 25 प्रतिशत 28 फरवरी 2004 तक

(ग) समाधान राशि का 25 प्रतिशत 31 मार्च 2004 तक

अप्रेल माह से अब तक जमा किये गये बिक्रीकर व निर्धारित मात्रा तक की गेहूँ की खरीद पर जमा किये गये गेहूँ पर कर का समायोजन प्रथम किश्त के साथ ही किया जायेगा।

(6)वित्तीय वर्ष 2003–2004 में 31 मार्च के पूर्व यदि कोई नयी फ्लोर मिल पंजीकृत होती है तो प्रति रोलर प्रतिमाह उपरोक्त धनराशि के आधार पर ही आयुक्त कर द्वारा उनके लिये समाधान राशि निर्धारित की जायेगी साथ ही प्रति रोलर प्रतिमाह उक्त निर्धारित गेहूँ के मात्रा के आधार पर ही गेहूँ की मात्रा आयुक्त कर द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(7) यह समाधान योजना धारा 4 क के अन्तगर्त छूट प्राप्त कर रही नयी इकाईयों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(8) समाधान योजना का विकल्प अपनाने वाले व्यापारी योजना के सम्बन्ध में आदेश जारी होने की तिथि के बाद अलग से कोई धनराशि व्यापार कर के रूप में ग्राहक से वसूल नहीं करेंगे।

(5) एक से अधिक रोलर होने पर प्रतिरोलर पैरा 3 के अनुसार समाधान राशि जमा करनी होगी जिसमें निजी मिल में उत्पादित आटा मैदा सूजी पर छूट के अतिरिक्त मात्रा में प्रतिरोलर तक गेहूँ की खरीद पर छूट प्रस्तर 3 के अनुरूप उपलब्ध होगी।

(6) यदि प्रार्थी फर्म का विघटन धारा–18(1) के अन्तर्गत हो जाता है तो नयी फर्म द्वारा देय समाधान राशि सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियो पर विचार कर आयुक्त कर द्वारा स्वयं निश्चित की जायेगी। विघटन के पूर्व की निर्माता फर्म द्वारा देय समाधान राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी फर्म का विघटन के बिना पुनर्गठन किया जाता है, जिसके लिये नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे मामलों में पुनर्गठन के पूर्व व उसके बाद की इकाई एक ही इकाई मानी जायेगी तथा पूर्व में निर्धारित समाधान राशि पूरे वर्ष के लिये लागू रहेगी।

(7) धारा–7 घ में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी कारणवश उसे वापस लेने का अधिकार किसी भी फ्लोर मिल का न होगा।

(8) यदि कोई फ्लोर मिल व्यापारी उपर प्रस्तर (7) या यथास्थिति प्रस्तर (8) में निर्धारित तिथि तक धारा–7 घ में विकल्प हेतु प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार नही देते तो यह समझा जायेगा कि वह विधि के सामान्य प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण कराना, रिर्टन प्रस्तुत करना तथा कर का भुगतान करना चाहते हैं और तद्नुसार ही कार्यवाही की जाएगी।

(9) किसी फ्लोर मिल व्यापारी को यह विकल्प न होगा कि वह वित्तीय वर्ष की आंशिक अवधि अथवा अपने कुल उत्पादन में से एक या कुछ रोलर के सम्बन्ध में एकमुश्त समाधान राशि का विकल्प प्रस्तुत करे तथा शेष रोलरों के सम्बन्ध में सामान्य प्राविधान के अन्तर्गत व्यापार कर जमा करें।

(10) समाधान राशि का विकल्प देने वाले किसी फ्लोर मिल द्वारा अपने किसी फ्लोर मिल में रोलरों में वृद्धि की जाती है तो इसकी सूचना उन्हें अपने व्यापार कर अधिकारी को 30 दिन के अन्दर देनी होगी तथा ऐसे फ्लोर मिल के सम्बन्ध में बढ़े हुए रोलरों की संख्या के आधार पर "वित्तेय वर्ष" के लिए ऊपर प्रस्तर (4) में निर्धारित एकमुश्त समाधान राशि देय होगी।

(11) यदि व्यापार कर विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जॉच पर किसी फ्लोर मिल में रोलरों की संख्या फ्लोर मिल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में घोषित रोलरों की संख्या से अधिक पायी जाती है और फ्लोर मिल उस संख्या को स्वीकार करता है तब उस फ्लोर मिल के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के लिए अधिकारी द्वारा पाई गई संख्या के आधार पर समाधान राशि देय होगी।

(12) यदि फ्लोर मिल निर्माता अधिकारी द्वारा पाये गए रोलरों की संख्या को स्वीकार नहीं करता है तब सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर तत्काल अन्य किसी एक असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा दो व्यापार कर अधिकारीयों द्वारा जॉच करवायेंगे और उक्त अधिकारी/ अधिकारियों द्वारा फ्लोर मिल में पाये गये रोलरों की संख्या अंतिम मानी जायेगी और तद्नुसार देय समाधान राशि निर्धारित होगी।

(13) ऊपर प्रस्तर (15) तथा (16) के अनुसार यदि देय समाधान राशि पुनरीक्षित होती है तब प्रस्तर (4) अथवा यथास्थिति प्रस्तर (12) के अनुसार देय राशि भी पुनरीक्षित होगी और प्रत्येक किश्त से सम्बन्धित बकाया राशि पर उसके जमा किये जाने की तिथि के बाद की अवधि के लिए 2 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।

(14) प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में व्यापार कर विभाग के अधिकारी फ्लोर मिल की जॉच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी जॉच फ्लोर मिल व्यापारी अथवा उनके कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि जॉच कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे और जॉच में पूरा सहयोग देंगे। व्यवधान उत्पन्न होने अथवा असहयोग करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र आदि में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जाएगा। साथ ही यदि व्यापार कर अधिकारी ऐसा उचित समझें तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार भी हो सकता है तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) के अन्तर्गत अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है विपरीत बिन्दु पर डिप्टी कमिश्नर (कार्यपालक) व्यापार कर का निर्णय अंतिम होगा और व्यापार कर अधिकारी तथा फ्लोर मिल निर्माता द्वारा मान्य होगा।

(15) समाधान योजना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले फ्लोर मिल निर्माता व्यापारियों को आटा मैदा सूजी के निमार्ण हेतु गेहूँ आयात करने के लिये समाधान राशि को ही कर मानते हुए उसके आधार पर विक्रयधन का आंकलन करते हुए, ऐसे आंकलित विक्रय धन से आटा मैदा सूजी का अनुमान किया जायेगा और उसी के आधार पर गेहूँ आयात करने के लिये आयात घोषणा पत्र तथा फार्म–"सी" सम्बन्धित फ्लोर मिल व्यापारी को नियमानुसार जारी किये जायेंगे। यह कार्यवाही आयुक्त कर द्वारा की जायेगी।

(16) उत्तरांचल फ्लोर मिल एसोसियेशन शपथ पत्र की तसदीक कर सकेगी, जिनके द्वारा समाधान योजना स्वीकार करने का विकल्प दिया जाए।

(वी0 के0 चन्दोला)
अपर सचिव वित्त

प्रारूप–1

फ्लोर मिल में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम1948,) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा–7 डी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,

डिप्टी कमिश्नर / सहायक कमिश्नर,

1 / 2 / 3 / खण्ड.....

मण्डल

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....पर स्थित है तथा जिसे उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम1948,) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा–8 क में .....कार्यालय.....द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए व्यापार कर अधिकारी खण्ड.....मण्डल / उपमण्डल.....के कार्यालय में दिनांक .....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार .....हूँ। मैंने स्वनिर्मित आटा मैदा सूजी की 01–04–2003 से 31–03–2004 तक की अवधि में की गयी बिकी पर तथा उक्त आटा मैदा सूजी के निर्माण में प्रयोग हेतु कय किये गये गेहूँ पर देय कर के विकल्प में धारा–7 घ में एकमुश्त राशि स्वीकार करने क सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभॉति समझ लिया है। उस निर्देश की सभी शर्ते मुझे मान्य हैं। उन्ही के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा निर्मित आटा मैदा सूजी की सीजन वर्ष 1.04.2003 से 31.03.2004 में हुई बिकी तथा इसी अवधि में आटा मैदा सूजी के निर्माण में प्रयोग हेतु कय किये गये निर्धारित गेहूँ पर देय व्यापार कर के स्थान पर उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम1948,) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा–7 डी के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुसार रूपया..... .....स्वीकार किये जाने का निवेदन करता हूँ। कुल राशि को मैं शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार जमा करता रहूँगा। उक्त धनराशि का –– प्रतिशत राशि रूपये .. ..तथा उस पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज मेरे द्वारा जमा कर दिया गया है, जिसका चालान संलग्न है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण से मेरा यह निवेदन वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा।

दिनांक 1.04.2003 को मेरे यहॉ स्टाक निम्नवत् था :–

कम सं0 मद	संख्या / मात्रा	स्थान जहॉ स्टाक है।
9	आटा	
10	मैदा	
11	सूजी	
12	गेहूँ	

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....

प्रमाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी/ साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

प्रारूप–2 :–

समक्ष डिप्टी कमिश्नर/ सहायक कमिश्नर,

1/2/3/ खण्ड.....

मण्डल

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

3. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी/ साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।
4. मेरे फर्म के मुख्यालय तथा शाखाओं के विवरण निम्नवत् हैं:–

पूरा पता वस्तुएं जिसका निर्माण या व्यापार होता है	निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण

1– मुख्यालय
2– शाखायें
(अ)
(ब)
(स)

3– उत्तरांचल फ्लोर मिल द्वारा निजी मिलों में उत्पादित आटा मैदा सूजी की वित्तीय वर्ष 1.04.2003 से 31.3.2004 में हुई बिक्री और उसी अवधि में आटा मैदा सूजी के उत्पादन में प्रयुक्त निर्धारित मात्रा में गेहूँ की खरीद पर देय करके स्थान पर उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम (यथा उत्तरांचल में प्रभावी) की धारा–7 डी के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा आयुक्त कर उत्तरांचल द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्ते आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4– मेरी उक्त फर्म के अपने निजी एवं लीज पर आटा मैदा सूजी के उत्पादन के लिये निम्न लिखित फ्लोर मिल वित्तीय वर्ष 01–04–2003 से 31–03–2004 में है तथा रहेंगे। यदि इसमें कोई परिर्वतन/ वृद्धि होती है, हो या किसी फ्लोर मिल के रोलर में कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/ वृद्धि की जाती है तो उसकी सूचना ऐसे परिवर्तन/ वृद्धि से तीन दिन के अन्दर अपने कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराऊँगा।

फ्लोर मिल की क्रम संख्या	फ्लोर मिल का नाम एवं पूरा पता	रोलर की संख्या	एक समय में कितने स्थान पर पिसाई होती है।	रोलर की सं0 के आधार पर प्रत्येक रोलर के लिए प्रस्तावित एक मुश्त धनराशि	प्रस्तावित समाधान राशि
1	2	3	4	5	6

कुल योग..... 5–

प्रस्तर–4 में अंकित फ्लोर मिलों तथा इसी तालिका के स्तम्भ–5 में अंकित धनराशि का कुल योग..... ...होता है जो मेरी/ हमारी फर्म द्वारा देय होगा। इस धनराशि की 50 प्रतिशत राशि का चालान इस शपथ पत्र अनुबन्ध व मेरे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम1948,) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा–7 डी के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब अवशेष समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप जमा की जायेगी।

6– यदि वित्तीय वर्ष दिनांक 1.04.2003 से 31.03.2004 के लिये मेरा धारा–7घ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो/ प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तरांचल शासन तथा व्यापार कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....

(वी0 के0 चन्दोला)
अपर सचिव वित्त